UPHM120009252024

न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

मौदहा, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी- ब्रजेश कुमार पटेल,

जे०ओ० कोड– UP4766 (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 108 /2024

अन्जुम मसीह बनाम इदरीश अहमद आदि

धारा- 498A,504,506 भा०दं०सं० & ¾ डी.पी. एक्ट।

थाना- मौदहा, जनपद हमीरपुर।

दिनांक- 23/10/2024

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **इदरीश अहमद पुत्र शकील अहमद** निवासी कस्बा मौदहा मुहल्ला हुसैनगंज थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर की ओर से अन्तर्गत धारा- 498A,504,506 भा०दं०सं० & ¾ डी.पी. एक्ट, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र दिनांकित 23.10.2024 में कथन किया था कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, प्रार्थी शारीरिक रुप से अक्षम है तथा ब्रेनट्यूमर का गम्भीर मरीज है तथा हृदयरोग से पीड़ित है।

अभियुक्त एवं परिवादिया के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त को गैर जमानतीय वारंट के निष्पादन में संबंधित थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में लाया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त आधारों पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है। उनके द्वारा मेडिकल प्रपत्र भी प्रस्तुत किये गये है। परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का घोर विरोध इस आधार पर किया कि अभियुक्त प्रार्थिया से सुलह का भरोसा देकर धारा 125 दं.प्र.सं. का वाद कुटुम्ब न्यायालय से वापस करा कर विदेश भाग गया था तथा लगातार न्यायालय में गैर हाजिर चल रहा था। न्यायालय द्वारा इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु लगातार आदेशिकायें निर्गत की जा रही थी। इसके अतिरिक्त परिवादिया के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के पासपोर्ट को जब्त किये जाने की भी प्रार्थना की गयी है।

इस न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 24.01.2017 को अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी किया गया था, परंतु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। तदोपरान्त 23.11.2018 को अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम बार जमानतीय वारंट जारी किया गया। 06.03.2021 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया। 22.06.2023 को न्यायालय द्वारा धारा 82 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत आदेशिका जारी किये जाने का आदेश दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनेक अवसर पर लगातार समन, जमानतीय वारंट, गैरजमानतीय वारंट जारी किये जाते रहे। फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा गिरफ्तारी से बचता रहा है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये मेडिकल प्रपत्र सन् 2013 के है। अभियुक्त के इस आचरण के कारण मामले के विचारण में अनावश्यक विलंब कारित हुआ है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। अभियुक्त को अविलंब जिला कारागार, हमीरपुर भेजा जाए।

दिनांक- 23/10/2024

(ब्रजेश कुमार पटेल),

सिविल जज (जू०डि०)/

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

मौदहा, हमीरपुर।